37–(08)–107–2013

पटना में दिनांक–08 फरवरी, 2013 शुक्रवार को अपराह्न 6:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कृषि विभाग

1. विघटित पर्षद एवं बाजार समितियों के बाजार प्रांगणों के उपयोग संबंधी नीति की कंडिका–2 IV में "परंतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि०/बिहार राज्य भण्डार निगम/केन्द्रीय भण्डार निगम/भारतीय खाद्य निगम को प्रांगण की जमीन खाद्यान्न भण्डारण गोदाम निर्माण के लिए उपयोग हेतु दिया जा सकेगा। इस पर बनने वाले गोदाम का उपयोग संबंधित निगम द्वारा किया जायेगा, परंतु स्वामित्व राज्य सरकार का होगा। इन मामलों में लीज पर जमीन हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं होगी। केन्द्रीय एजेंसियों को खाद्यान्न भण्डारण गोदाम निर्माण के लिए बाजार प्रांगण की जमीन उपलब्ध कराने हेतु, कृषि विभाग एवं संबंधित केन्द्रीय एजेंसी के बीच, कृषि विभाग द्वारा निर्धारित शर्त्तों पर एम०ओ०यु० किया जायेगा। संबंधित सरकारी एजेंसियाँ विघटित बाजार समिति के बाजार प्रांगण में गोदाम निर्माण तथा इसके उपयोग के लिए आवश्यक व्यवस्था स्वयं की निधि से करेंगे, किसी भी परिस्थिति में पी०पी०पी० मोड के माध्यम से नहीं करेंगे एवं भूमि/गोदाम का हस्तांतरण किसी अन्य एजेन्सी को नहीं किया जायेगा। खाद्यान्न भण्डारण गोदाम का, संबंधित एजेंसी द्वारा खाद्यान्न गोदाम के रूप में उपयोग नहीं करने पर, भूमि एवं उस पर बनी संरचना, राज्य सरकार को वापस हो जायेगी" परंतुक जोड़ने की स्वीकृति।

   1. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

2. कृषि रोड मैप अन्तर्गत हरित चादर (Green Cover) योजना का वर्ष 2012–13 (गरमा 2013) में 179.67 करोड़ रूपये (एक सौ उनासी करोड़ सड़सठ लाख रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।

   2. **स्वीकृत।**

खान एवं भूतत्व विभाग

3. खान एवं भूतत्व विभाग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 07 (सात) खान निरीक्षक का अतिरिक्त पद का सृजन के संबंध में।

   3. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया अंचल के मौजा–उज्जैन टोला, थाना नं०–131, खाता नं०–शून्य, खेसरा नं०–7711, रकबा–2.075 एकड़ पुराने मंडल कारा बेतिया की भूमि व्यवहार न्यायालय बेतिया के भवन निर्माण हेतु विधि विभाग को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।

   4. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

5. बिहार वित्त सेवा के विभिन्न कोटि के पदाधिकारियों का विभिन्न चेकपोस्टों पर 1 (एक) वर्ष एवं मुख्यालय में 2 (दो) वर्ष का पदस्थापन अवधि निर्धारित करने के संबंध में।

5. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

6. बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 में संशोधन के संबंध में।

6. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शेट्टी कमीशन द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय के वर्ग–3 एवं 4 के कर्मियों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में की गई अनुशंसाओं के अनुरूप दिनांक–01.04.03 के प्रभाव से स्वीकृत करने के संबंध में।

7. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

8. बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम– 13 (1) के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के उप सचिव ग्रेड से निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर) के पद पर बैंड वेतन ₹ 37,400–67,000+ग्रेड वेतन ₹ 8700 में प्रोन्नति देने के संबंध में।

8. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

9. एम०जे०सी० संख्या–3285/2012, नन्द किशोर प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक–07.11.2012 को पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मियों को संशोधित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के संबंध में।

9. **स्वीकृत।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

10. वैशाली में बुद्ध सम्यक् दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप के निर्माण तथा लोक नायक जय प्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब दियारा, सारण में पुस्तकालय एवं स्मृति भवन के निर्माण हेतु भू–अर्जन के निमित्त बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 21,00,00,000/–(इक्कीस करोड़ रूपये) मात्र अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

10. **वैशाली जिला से संबंधित प्रस्ताव स्वीकृत एवं शेष प्रस्ताव अलग से दिया जाय।**

गृह विभाग

11. राज्य के काराओं एवं अन्य विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु "बिहार सुधारात्मक प्रशिक्षण संस्थान" (Bihar Institute of Correctional Administration) का ₹ 4350.09421 लाख की लागत पर निर्माण की स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अंतिम चरण में होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु पाँच (5) लाख रूपये कार्यान्वयन एजेंसी बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति। — 11. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

12. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को कुल ₹ 200.00 लाख (दो करोड़ रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। — 12. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

13. बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य–कर उपायुक्त कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान 12000–375–16500 रू०) से वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान 14300–400–18300 रू०) में भूतलक्षी प्रभाव से आर्थिक लाभ सहित नियमित प्रोन्नति। — 13. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत योगापट्टी अंचल के मौजा–मटकोटा थाना नं०–28, खाता–141, खेसरा नं०–1103/1, रकबा–0.30 एकड़ गैरमजरूआ परती कदीम भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुकई यादव के टोला के भवन निर्माण हेतु शिक्षा विभाग को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15. पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया अंचल के मौजा–पूर्वी करगहिया, थाना नं०–132, खाता नं०–44, खेसरा नं०–545/1, रकबा–1.00 एकड़ गैरमजरूआ मालिक, परती कदीम भूमि बाल सुधार गृह (रिमांड होम) की स्थापना हेतु समाज कल्याण विभाग को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

16. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत/संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में छात्रावास प्रबंधक का 80 (अस्सी) पदों की स्वीकृति। — 16. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

17. नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों को गृह रक्षा वाहिनी के स्वयंसेवकों के अनुरूप कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान (Ex Gratia), कर्त्तव्य के दौरान घायल होने पर इलाज का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने तथा गम्भीर रूप से बीमार पड़ने की स्थिति में सरकारी कर्मचारी के अनुरूप प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में।	**17. स्वीकृत।**